

# बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या – पी०आर० 01/2021

इन्टरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा, 2021 के संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षकों, मान्यताप्राप्त +2 स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधान एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा इन्टरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा, 2021 के संचालन हेतु निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षकों, मान्यताप्राप्त +2 स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक विषयों की परीक्षा दिनांक 09.01.2021 से प्रारंभ होकर दिनांक 18.01.2021 तक संचालित होनी है।

2. इन्टरमीडिएट प्रायोगिक विषयों की परीक्षा के लिए सभी जिला में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर उपयोग में लाये जाने वाले गोपनीय परीक्षा सामग्री यथा-प्रश्न-पत्र (परीक्षा केन्द्रवार पैकिंग कर) एवं बैंक ड्राफ्ट समिति के विशेष दूत के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेज दी गयी है।

3. प्रायोगिक विषय/विषयों को परीक्षा संचालन हेतु सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों के लिए भेजी गयी डाटायुक्त उत्तरपुस्तिका, उपस्थिति पत्रक एवं अनुपस्थिति पत्रक में से किसी परीक्षार्थी के परीक्षा सामग्री में त्रुटि/अनुपलब्धता की स्थिति में प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिए 5% डाटारहित उत्तरपुस्तिका, उपस्थिति पत्रक एवं अनुपस्थिति पत्रक परीक्षा केन्द्रवार पैकिंग कर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2% डाटारहित उत्तरपुस्तिकादि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में सुरक्षित भंडारण हेतु भी प्राप्त कराया जाना है, जिसे आकस्मिकता की स्थिति में परीक्षा केन्द्रों को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. सभी प्रायोगिक परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षकों से अनुरोध है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से दिनांक 05.01.2021 से स्वयं अथवा अपने विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से गोपनीय परीक्षा सामग्री यथा-प्रश्न-पत्र, बैंक ड्राफ्ट एवं 5% डाटारहित उत्तरपुस्तिका, उपस्थिति पत्रक तथा अनुपस्थिति पत्रक प्राप्त कर निर्धारित तिथि के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा संचालित कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित उपर्युक्त सामग्रियों के अतिरिक्त सैद्धान्तिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों का औपबन्धिक नियुक्ति पत्र (शिक्षण संस्थानवार पैकिंग कर) भी समिति दूत के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भेज दी गयी है। +2 स्तर के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान से अनुरोध है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु प्रेषित परीक्षक औपबन्धिक नियुक्ति पत्र स्वयं अथवा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त कर संबंधित शिक्षक को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षक औपबन्धिक नियुक्ति पत्र समिति के वेबसाइट [biharboardonline.bihar.gov.in](http://biharboardonline.bihar.gov.in) एवं [tech.biharboardonline.com](http://tech.biharboardonline.com) पर उपलब्ध Link "शिक्षक औपबन्धिक नियुक्ति पत्र" पर क्लिक कर शिक्षक स्वयं भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी शिक्षक का स्थानांतरण/सेवा निवृत्ति/देहावसान हो गया हो, तो ऐसे परीक्षकों का औपबन्धिक नियुक्ति पत्र शिक्षण संस्थान के प्रधान कारण सहित अपने अग्रसारण पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में वापस कर देंगे। किसी शिक्षक के औपबन्धिक नियुक्ति पत्र के विवरण में कोई त्रुटि परिलक्षित हो, तो साक्ष्य के साथ आवेदन ई-मेल आई0डी0 [teachdirbsebss2021@gmail.com](mailto:teachdirbsebss2021@gmail.com) पर भेज कर अनिवार्य रूप से त्रुटि का सुधार करा लेंगे, ताकि त्रुटिरहित मूल नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सके। उल्लेखनीय है कि यह औपबन्धिक नियुक्ति पत्र है, जो मूल्यांकन के लिए मान्य नहीं है। मूल्यांकन कार्य हेतु केवल वही परीक्षक संबंधित मूल्यांकन केन्द्र पर योगदान देंगे, जिन्हें समिति द्वारा बाद में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा।

6. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि समिति के प्रतिनियुक्त विशेष दूत द्वारा भेजे गये प्रायोगिक परीक्षा का प्रश्न-पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट तथा 5% डाटारहित उत्तरपुस्तिका, उपस्थिति पत्रक एवं अनुपस्थिति पत्रक अपने जिला में निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षकों को तथा औपबन्धिक नियुक्ति पत्र जिलान्तर्गत शिक्षण संस्थान के प्रधान को वितरण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा अपने अग्रसारण पत्र के साथ किसी अनधिकृत परीक्षक का औपबन्धिक नियुक्ति पत्र की हार्ड कॉपी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में वापस किया जाएगा, तो परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०) के नाम अपने अग्रसारण पत्र के साथ ससमय समिति कार्यालय के मुख्य भवन स्थित केन्द्रीय प्रशाखा (उ०मा०) में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

परीक्षा नियंत्रक (उ.मा.)